नगर परिषद संतोषगढ, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/14 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 4/14 से 03/16 तक नगर परिषद संतोषगढ़ के प्रधान एवं सचिव निम्नानुसार थेः–

(1) प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती अन्जू बाला	01.04.2014 से 11.2.2016
2	श्रीमती वीना देवी	12.2.2016 से 31.3.2016

(2) कार्यकारी अधिकारी

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती वर्षा चौधरी	01.04.2014 से 31.03.2016

(ख) नगर परिषद संतोषगढ़ के अवधि 04/14 से 03/16 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	दिनांक 31.3.2016 तक अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	9 (1)	157.89
2	गृहकर, दुकानों के किराये व चूल्हा टैक्स की दिनांक 31.3.2016 तक राशि वसूली हेतु शेष	10	58.33
3	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	13	1.14
4	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	16	0.55

5	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियाँ व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	17	52.91
6	श्री गुरूदत्त सफाई ठेकेदार को अधिक एवं गलत भुगतान	20	1.51
7	बकाया वेतन बिलों के रूप में नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों को अनियमित एवं अनाधिकृत भुगतान	21	9.35
8	लाईसैन्स फीस के रूप में कार्यकारी अधिकारी की कम वसूली व मौके पर वसूली	22 (क)	0.13
9	श्री यशपाल चपड़ासी से लाईसैन्स फीस के रूप में कम वसूली	22 (ख)	0.09
10	निर्माण बिलों से बिक्री कर की कम कटौती	26	2.66
11	निर्माण कार्य बिलों से श्रमकर की कम कटौती	27	2.66
12	गणना में त्रुटि के कारण विभिन्न संविदाकारों को निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों की एवज में अधिक एवं गलत भुगतान	30	0.19
13	निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों का निष्पादन ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत टैण्डर आमन्त्रित न करना	32	87.98
14	टी0डी0एस0 राशि की कटौती न करना	34	0.39

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव नही हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढ़ंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी करें ताकि गत वर्षों से अनिर्णीत पैरों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट–1** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 तक का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 26.9.2016 से 31.10.2016 तक नगर परिषद सन्तोषगढ़ में किया गया। विस्तृत जाँच

हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैः–

आयः– 12/14 व 11/15

व्ययः– 3/15 व 6/15

"प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद संतोषगढ़ के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹45000 आंका गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सन्तोषगढ़ से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316 दिनांक 24.10.16 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्या 573068 दिनांक 24.10.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–3** के अनुसार निम्न प्रकार से थी।

		प्रारम्भिक शेष	**आय**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
वर्ष 2014–15	स्वः स्त्रोत	71016	2822263	2893279	2490051	403228
	अनुदान	2307140	37535346	39842486	22453935	17388551
	कुल	**2378156**	**40357609**	**42735765**	**24943986**	**17791779**
वर्ष 2015–16	स्वः स्त्रोत	403228	3687328	4090556	3794138	296418
	अनुदान	17388551	17717608	35106159	19316843	15789316
	कुल	**17791779**	**21404936**	**39196715**	**23110981**	**16085734**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष =16085734

जमाः– दिनांक 10.6.2014 को खाता संख्या 4015000010004395 में अधिक जमा करवाई गई राशि= 3729

घटावः– (i) चैक संख्या 498551 दिनांक 19.1.2016 बैंक में जमा हेतु भेजा गया लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया= 6250

घटावः– (ii) हस्तगत रोकड़= 49

दिनांक 31.3.16 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाते में शेष राशि= 16083164

(क)

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	401500010004395	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	1732060
2	4015000102575978	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	71613
3	20026007203	के0सी0सी0बी0 सन्तोषगढ़	172504
4	2140111434	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	3474
5	2140082569	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	143736
6	2140107631	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	143067
7	–	पी0एल0ए0 ऊना	5506
8	–	डाकघर सन्तोषगढ़	164
9	2526015	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	65492
10	20026020382	के0सी0सी0बी0 सन्तोषगढ़	4428
11	65014237089	एस0वी0पी0 मैहतपुर	110955
		योग	**2452999**
(ख)	**दिनांक 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि**		**13630165**
	(क) व (ख) का कुल योग (2452999+13630165)		**16083164**

4.2 सावधिक निवेशः–

दिनांक 31.3.2016 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार थाः–

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज की दर	अवधि	बैंक का नाम
1	4015000PU 00011409	2.1.16	13630165	2.1.17	14609615	7%	1 वर्ष	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़

4.3 बचत खातों को अंकेक्षण में सत्यता हेतु प्रस्तुत न करनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा बचत खातों की उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को पी0एल0ए0 ऊना में ₹5506 व डाकघर सन्तोषगढ़ में ₹164 अन्तिम शेष के रूप में जमा दर्शाई गई है लेकिन उक्त बचत खाते वर्तमान अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। बचत खातों के अभाव में उक्त खातों के अन्तिम शेष की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वांछित बचत खाते आगामी अंकेक्षण मे सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि उक्त खातों में जमा दर्शाई गई राशियों की सत्यापना सम्भव हो सके।

5 पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–3 (क)** के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	800250	881096	43030	1724376	204378	1519998
2015–16	1519998	702791	69064	2291853	214598.83	2077254.17
			दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष			2077254.17
			दिनांक 31.3.16 को बचत खाते के अनुसार अन्तिम शेष			2077259.17
				अन्तर		**5.00**

नोटः– बैंक समाधान विवरण अनुसार बैंक में ₹5 अधिक जमा है

दिनांक 31.3.16 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाते में शेष राशि 7367975.17

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	4015000100026229	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	2077259.17
2	दिनांक 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		5290716.00
		कुल योग	**7367975.17**

5.1 सावधिक निवेशः–

पैन्शन एवं उपदान निधि से सावधिक निवेश के अन्तर्गत दिनांक 31.3.16 तक निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज की दर	अवधि	बैंक का नाम
1	डी0पी0–2897	8.2.15	988218	8.2.18	1281227	8.75%	3 वर्ष	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़

2	डी0पी0–4517	23.8.14	1308424	7.9.17	175188	9%	3 वर्ष 15 दिन	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़
3	डी0पी0–7414	27.4.15	479362	27.4.18	616948	8.50%	3 वर्ष	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़
4	डी0पी0–2967	8.2.15	1334630	8.2.18	1730551	8.50%	3 वर्ष	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़
5	डी0ए0–6588	10.12.15	1180082	26.12.18	1463947	7.25%	3 वर्ष 16 दिन	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़
		कुल योग	**5290716**					

6 नगर परिषद सन्तोषगढ़ के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरणः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	13992068	15949627
2014–15	40357609	24943986
2015–16	21404936	23110981

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में परिषद की आय में लगभग 50% की कमी आई है जिसके कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदानों का शीर्षवार व्यय से सम्बन्धित विवरण तैयार न करने बारेः–

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0–एच (सी) (2)–1/2008–IV–339, दिनांक 4.4.13 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर परिषद द्वारा शीर्षवार व्यय किया जाना अपेक्षित था जिसका शीर्षवार नमूना (परफोरमा) निम्नलिखित हैः–

Sr. No.	Name of Sector	Name of work	Estimated cost	work done (unit)	Expenditure
1	Sanitation				
2	Parking				
3	Solid waste				
4	Drainage				
5	Street Light				
6	E-Governance				
7	Sewerage				
8	Mgt of Assets				
9	Development/Prot				
10	Salary & wages (Not more than 20% of total release)				
	Total				

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014–15 व 2015–16 में वित्त आयोग द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार व्यय करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था व सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख रखाव नगर परिषद निधि खाते में किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को जिस उद्देश्य हेतु जारी किया गया था उसी उद्देश्य हेतु खर्च किया गया है या नहीं। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अवधि 2014–15 व 2015–16 के दौरान वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के शीर्षवार खर्च से सम्बन्धित विवरण को अविलम्ब तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर्च की गई अनुदान राशि उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया था तथा भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 स्वः स्त्रोतों की आय में अनुदानों से प्राप्त ब्याज ₹3.51 लाख को दर्शाने बारेः–

नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वः स्त्रोत में दर्शाए गए दिनांक 31.3.14 के अन्तिम शेष ₹422275 के स्थान पर दिनांक 1.4.14 के आरम्भिक शेष ₹71016 व अनुदानों के अन्तिम शेष ₹1955881 के स्थान पर आरम्भिक शेष ₹2307140 दर्शाकर ₹351259 स्वः स्त्रोतों में कम व अनुदानों में अधिक दर्शाने के कारण गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुदान एस0डब्लयू0एम0 के अन्तिम शेष ₹841556 को ₹722893 आई0डी0एस0एम0टी0 के अन्तिम शेष ₹79305 को ₹64545 व आर0जी0यू0आर0एम0 के अन्तिम शेष ₹251913 को ₹34077 दर्शाने के कारण कुल ₹351259 (118663+14760+217836) अनुदानों के अन्तिम शेष में कम व स्वः स्त्रोतों के अन्तिम शेष में अधिक दर्शाना है, क्योंकि गत वर्षों में उक्त अनुदानों से प्राप्त ब्याज को स्वः स्त्रोतों में दर्शाया गया है। जबकि वास्तव में उक्त अनुदानों की अलग–2 रोकड़ बहियां व बचत पास बुकें लगाई गई है व उक्त अनुदानों से अर्जित ब्याज को भी उक्त रोकड़ बहियों में इन्द्राज किया गया है। अतः अर्जित ब्याज को सामान्य रोकड़ बही में हस्तांतरित न करने के बावजूद भी गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त अनुदानों से अर्जित ब्याज को स्वः स्त्रोतों में दर्शाया गया है व गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण दल को उक्त अनुदानों की वित्तीय स्थिति की गलत सूचना प्रदान की गई थी।

9 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान की राशि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का विवरण **परिशिष्ट–4** पर दर्शाया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	योग	वर्ष के दौरान व्यय	व्यय हेतु शेष राशि
2014–15	2307140	37535346	39842486	22453935	17388551
2015–16	17388551	17717608	35106159	19316843	15789316

9.1 दिनांक 31.3.16 को अनुदान की अनुपयोगी ₹157.89 लाखः–

सरकार से प्राप्त अनुदान की ₹15989316 दिनांक 31.3.16 को **परिशिष्ट–4** के अनुसार अनुपयोगी थी। जिसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके समयबद्ध उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाए जिस उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सरकार को किया जाए।

9.2 अनुदान ₹417.71 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "4"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹22453935 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹19316843 कुल ₹41770778 का व्यय किया गया। लेकिन नगर परिषद द्वारा अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त राशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

10 गृहकर, दुकान किराये व चूल्हा टैक्स की ₹58.33 लाख वसूली हेतु लम्बितः–

दिनांक 31.3.16 तक नगर परिषद सन्तोषगढ़ की निम्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹5832856/– की वसूलियां निम्नविवरणानुसार शेष थीः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृहकर	4178216	5 (क)
2	दुकान किराया	1206210	5 (ख)
3	चूल्हा टैक्स	448430	5 (ग)
	योग	**5832856**	

अतः नगर परिषद द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10.1 गृहकर ₹41.78 लाख की लम्बित वसूलियाँः–

दिनांक 31.3.2016 को गृहकर के रूप में ₹4178216 संलग्न **परिशिष्ट–5 (क)** के अनुसार वसूली हेतु शेष थी। अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–(एच)(ए)(7)–1/84–9237 से 9284 दिनांक 20.6.01 के अनुसार करो की शत प्रतिशत की वसूली न करने की अवस्था में सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार यदि कोई राशि, टैक्स, शुल्क म्यूनिसिपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत/परिषद सचिव लिखित रूप से दोषी फर्म, संस्था व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर कोई दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव दोषी, फर्म, संस्था, व्यक्ति की चल सम्पत्ति को बेचकर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था को बरंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के बावजूद भी नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा गृहकर की सम्पूर्ण वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए है जिसके कारण गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.2016 को **परिशिष्ट–5 (क)** के अनुसार ₹4178216 वसूलने हेतु शेष थे। अतः नगर परिषद समयबद्ध तरीके से शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

10.2 गृहकर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹4.71 लाख की वित्तीय हानिः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी) 10–7/98 दिनांक 17.11.2003 के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृहकर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	गृहकर की प्रतिशतता
2002–03	7.5%
2003–04	8.5%

2004–05	10%
2005–06	11.5%
2006–07	12.5%

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर परिषद द्वारा गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में 8.5% दर से की गई थी। इस प्रकार नगर परिषद को वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान लगभग ₹470530 की आय की हानि हुई है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–'

वित्तीय वर्ष	8.5% से गृहकर की गणना	12.5% की दर से गृहकर की गणना	अन्तर
2014–15	540364 (संदर्भित परिशिष्ट–5 (क))	794653	254289
2015–16	459513 (संदर्भित परिशिष्ट–5 (क))	675754	216241
		योग	**470530**

अतः राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर दर का निर्धारण 12½% करना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 दिनांक 31.3.16 तक दुकानों के किराए ₹12.06 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट–5 (ख)** के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 को दुकानदारों से किराया ₹1206210 वसूली हेतु शेष थी। अतः मासिक किराए की अत्याधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किराए वसूली हेतु परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 258 में विहित प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अतः नियमानुसार कार्यवाही न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए किराया ₹1206210 की वसूली की जाए।

10.4 चूल्हा टैक्स के रूप में दिनांक 31.3.16 तक ₹4.48 लाख की वसूली न करनाः–

दिनांक 31.3.16 को चूल्हा टैक्स के रूप में ₹448430 संलग्न **परिशिष्ट–5 (ग)** के अनुसार वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स, शुल्क म्यूनिसिपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है। तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उप नियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर

निगम को भुगतान नहीं करता, तो सम्बन्धित सचिव दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति की चल सम्पत्ति को बेचकर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। अतः नगर परिषद शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

11 नगर परिषद द्वारा ब्रिक किल्न शुल्क के रूप में ₹0.20 लाख की दिनांक 31.3.16 तक वसूली हेतु लम्बितः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा **परिशिष्ट–5 (घ)** के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक ब्रिक किल्न शुल्क ₹20000 विभिन्न ईंट भटठा मालिकों से वसूली हेतु लम्बित थी जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

12 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मोबाईल टावर की नवीनीकरण शुल्क ₹1.14 लाख का वसूली लम्बित होनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–5 (ङ))** के अनुसार नगर परिषद की परिधि के अन्तर्गत 6 मोबाईल कम्पनियों के टावर स्थापित है दिनांक 31.3.16 को निम्नविवरणानुसार मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु लम्बित थी।

क्र0सं0	मोबाईल टावर स्थापित करने वाली कम्पनी का नाम	दिनांक 31.3.16 को नवीनीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि
1	मैसर्ज भारती सैलुलर लिमिटेड (एयरटेल)	22500
2	मैसर्ज डिसनेट ईयरलेस लिमिटेड	33750
3	रिलायंस इन्फो कम्नयुकेशन लिमिटेड	27500
4	**बी0एस0एन0एल0**	**30180**
	कुल योग	**₹113930**

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से समयानुसार उक्त राशि के भुगतान करने हेतु कभी भी पत्राचार नहीं किया गया व न ही कभी उक्त राशि की मांग की है जोकि अनियमित है। अतः उक्त राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित कम्पनियों से अविलम्ब वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के Social justice and empowerment Department की अधिसूचना संख्या WLF-A(3) 1/97 दिनांक 17.12.2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाना था। परन्तु नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है। अतः गणना करने उपरान्त अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 शराब कर की वसूली न करनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शराब कर की वसूली नहीं की गई है। अतः शराब कर की वसूली सम्बन्धित विभाग से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 के दौरान शराब की कुल कितनी बोतलें बेची गई से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर बैंक द्वारा ₹0.55 लाख कम ब्याज देने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा पैन्शन एवं उपदान निधि से पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़ में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य पर देय ब्याज की तुलना में कम ब्याज दिया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम/एफ0डी0आर0 सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	प्राप्त की गई राशि	अन्तर
1	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़/डी0पी0 2897	8.2.12	756572	9.25%	8.2.15	995393	988218	7175
2	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़/डी0पी0 4517	10.8.11	1000000	9.50%	23.8.14	1330513	1308424	22089
3	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़/डी0पी0 7414	27.4.12	365536	9.25%	27.4.15	480922	479362	1560
4	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़/डी0पी0 2967	8.2.12	1032919	9.25%	8.2.15	1358972	1334630	24342
							योग	₹55166

अतः कम ब्याज दिए जाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंक से कम दी गई ब्याज की राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित ₹40.55 लाख व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹12.36 लाख कुल ₹52.91 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

जँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में पैन्शन व उपदान निधि से गत वर्षों में सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत राशियां पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़ में निवेशित की गई है तथा उन पर समय–समय पर ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन न तो निवेशित राशियों का और न ही निवेशित राशि पर समय–समय पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार परिषद द्वारा सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही में न दर्शाना व निवेशित राशियों पर समय–समय पर अर्जित ब्याज को आय पक्ष में न दर्शाना अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। अतः उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही करने के प्रयोजन से लाया जाता है ताकि सावधिक योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर समय–समय पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन सम्भव हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर अवधि 1.4.14 से 31.3.16 के दौरान निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	एफ0डी0 सं0 व बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	अर्जित ब्याज
1	डी0पी0 2897 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	8.2.12	756572	8.2.15	995393	9.25%	3 वर्ष	231646
	डी0पी0 2897 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	8.2.15	988218	8.2.18	1281227	8.75%	3 वर्ष	—
2	डी0.ए0 4517 पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	10.8.11	1000000	23.8.14	1330513	9.50%	3 वर्ष 15 दिन	308424
	डी0.ए0 4517 पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	23.8.14	1308424	7.9.17	1715188	9%	3 वर्ष 15 दिन	—
3	पी0आर0 7414 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	27.4.12	365536	27.4.15	480922	9.25%	3 वर्ष	113826
	पी0आर0 7414 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	27.4.15	479362	27.4.18	616948	8.50%	3 वर्ष	—
4	डी0पी0 2967 पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	8.2.12	1032919	8.2.15	1358972	9.25%	3 वर्ष	301711
	डी0पी0 2967 पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	8.2.15	1334630	8.2.18	1730551	8.50%	3 वर्ष	—
5	डी0ए0 6588 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	24.11.12	900000	10.12.15	1180082	9%	3 वर्ष 16 दिन	280082
	डी0ए0 6588 / पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	10.12.15	1180082	26.12.18	1463947	7.25%	3 वर्ष 16 दिन	—
							योग	**₹1235689**

18 स्वीकृत बजट राशि से ₹217.03 लाख का अधिक व्ययः—

नगर परिषद का अवधि 4 / 14 से 3 / 16 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार थाः—

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2014—15	12531365	24943986	12412621
2015—16	13820294	23110981	9290687
		योग	**21703308**

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई ₹21703308 का अनुमोदन / स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग के अनुमोदन / स्वीकृति से व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 बजट का 1% हिस्सा ₹1.38 लाख को पैन्शन एवं उपदान निधि में हस्तांतरित न करनाः—

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 के दौरान कुल बजट के 1% भाग ₹138203 (13820294x1%) को पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा नहीं करवाया गया है।

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0–एच0 (बी) 15–13/99–196610–89 दिनांक 27.12.2001 के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि में कुल बजट का 1% हिस्सा हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। अतः कुल बजट का 1% हिस्सा पैन्शन एवं अपदान निधि में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कुल बजट का 1% हिस्सा ₹138203 को पैन्शन एवं उपदान निधि में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 श्री गुरदत्त सफाई ठेकेदार को ₹1.51 लाख का अधिक एवं गलत भुगतानः–

(क) श्री गुरदत्त सफाई ठेकेदार को ₹58912 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु सफाई का ठेका श्री गुरूदत्त ठेकेदार को दिया गया है। नगर परिषद सन्तोषगढ़ के कार्यकारी अधिकारी व श्री गुरूदत्त ठेकेदार के बीच हुए अनुबन्ध व कार्य आबंटन पत्र के अनुसार श्री गुरूदत ठेकेदार को प्रतिमाह सफाई कार्य करवाने हेतु ₹73645 का भुगतान किया जाना था लेकिन व्यय की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान उक्त सफाई ठेकेदार श्री गुरूदत्त को अवधि 8/14 से 3/15 के दौरान ₹73645 प्रतिमाह की जगह ₹81009 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया जिसके कारण 8 माह हेतु उक्त ठेकेदार को ₹58912 (81009–73645X8) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 302 दिनांक 13.10.16 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया।

लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹58912 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार अथवा चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री गुरूदत्त सफाई ठेकेदार को ₹92076 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सफाई का ठेका श्री गुरूदत्त सफाई ठेकेदार को दिया गया। नगर परिषद सन्तोषगढ़ के कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्री गुरूदत्त ठेकेदार को जारी किए गए कार्य आंबटन पत्र संख्या MCS/Sanitation/143 दिनांक

6.4.15 के अनुसार गत वर्ष की प्रतिमाह ठेका ₹73645 पर 5% वृद्धि ₹3682 कुल ₹77327 (73645+3682) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध स्वेच्छा से ही ₹85000 प्रतिमाह की दर से किया गया जोकि पूर्णतया अनुचित है। स्वेच्छा से गलत एवं अधिक राशि से अनुबन्ध करने के कारण श्री गुरूदत्त ठेकेदार को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 92076 (85000–77327X12) अनुचित वित्तीय लाभ एवं अधिक एवं गलत भुगतान किया गया। उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 294 दिनांक 3.10.16 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹92076 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार अथवा चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 बकाया वेतन बिलों के रूप में नगर परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों को ₹9.35 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत भुगतानः–

माह 6/15 में वाउचर संख्या 630 स 638 दिनांक 18.6.15 के अनतर्गत ₹716043 माह 7/15 के दौरान ₹155574 व माह 10/15 में ₹63624 कुल ₹935241 संशोधित वेतनमानों व ए0सी0पी0 की बकाया राशि के रूप में नगर परिषद कर्मचारियों को भुगतान किया गया है। निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(b) (7) 11/87-V-141-190 दिनांक 1.4.2015 जिसके अन्तर्गत उक्त बकाया राशियों का भुगतान किया गया है में स्पष्ट लिखा है कि सम्बन्धित नगर परिषद स्वयं के स्त्रोतों से होने वाली आय की वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश म्युनियिपल एक्ट 1994 की धारा 53 (i) (c) की अनुपालना करते हुए संशोधित वेतनमानों व ए0सी0पी0 (4–9–14) को लागू करने अथवा लागू न करने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकती है व सरकार किसी भी स्तर पर उक्त वित्तीय देयत्ता वहन नहीं करेगी। उक्त पत्र को कार्यकारी अधिकारी सन्तोषगढ़ द्वारा नगर परिषद सन्तोषगढ़ के सदन की सामान्य मीटिंग दिनांक 20.12.14 में चर्चा हेतु रखा गया व प्रस्ताव संख्या 69 के अन्तर्गत सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान नगर परिषद कर्मचारियों को प्रदान कर दिए जाएं। नगर परिषद सन्तोषगढ़ के सदन द्वारा प्रस्ताव संख्या–69 केवल संशोधित वेतनमान प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है,

न कि बकाया राशि के भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 53 (i) (c) "Municipality shall set apart and apply out of municipal fund such a sum as may be required to meet the establishment charges and the salary, allowances, Provident fund and gratuity of the members of municipal employees provided total expenditure on establishment expenditure of the municipality." की भी अवहेलना की गई है, क्योंकि नगर परिषद सन्तोषगढ़ के स्वयं स्त्रोतों से आय की वित्तीय स्थिति मजबूत न होकर दयनीय है व अपने स्त्रोतों की आय से संशोधित वेतनमानों व 4–9–14 (ACP) की बकाया राशियों का भुगतान करने में असमर्थ थी, क्योंकि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में स्वयं स्त्रोतों से कुल आय क्रमशः ₹2822263 व ₹3687328 है, जिसके विरूद्ध अकेले स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में क्रमशः ₹4602072 व ₹4931703 है वर्ष 2015–16 में संशोधित वेतनमानों व New ACP (4-9-14) की बकाया राशि के रूप में ₹935241 का व्यय इसके अतिरिक्त किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ स्वयं स्त्रोतों की आय से नगर परिषद कर्मचारियों के वेतन देने में भी असमर्थ है। अतः स्वयं स्त्रोतों की आय की वित्तीय स्थिति दयनीय होने के बावजूद नगर परिषद सन्तोषगढ़ के सदन के प्रस्ताव की अनुपस्थिति व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 53 (1) (सी) की अवहेलना करके नगर परिषद सन्तोषगढ़ के अधिकारियो व कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों व (New ACP) 4-9-14 की बकाया राशि के रूप में किया गया सम्पूर्ण भुगतान अनियमित एवं अनाधिकृत है। उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 317 दिनांक 25.10.16 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः अनियमित एवं अनाधिकृत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 (क) लाईसैन्स फीस के रूप में कार्यकारी अधिकारी से ₹0.13 लाख की कम वसूली व मौके पर वसूली करने बारेः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ के कार्यकारी अधिकारी को टाईप–III आवास आबंटित किया गया व उक्त कर्मचारी से लाईसैन्स फीस ₹388 के स्थान पर ₹194 प्रतिमाह की दर से वसूली करने के कारण ₹12804 की कम वसूली

की गई जबकि जी0ए0डी0 हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या जी0ए0डी–3 (सी) 14–2/97 दिनांक 21.9.2010 के अनुसार टाईप–III के आवास हेतु लाईसैन्स फीस की दर ₹388/– निर्धारित की गई है।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	लाईसैन्स फीस की दर	वसूली गई लाईसैन्स फीस	कम वसूली गई लाईसैन्स फीस	अवधि	कम वसूली गई राशि
1	श्रीमती वर्षा चौधरी (कार्यकारी अधिकारी)	388	194	194	1.10.10 से 31.3.16=66 महीने	194x66=12804

उपरोक्त उल्लेखित लाईसैन्स फीस के रूप में कम वसूली गई ₹12804 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 303 दिनांक 13.10.16 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जी–8 संख्या 48/334 दिनांक 25.10.16 के अन्तर्गत ₹12804 की वसूली कर ली गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

(ख) श्री यशपाल, चपड़ासी से लाईसैन्स फीस ₹0.09 लाख की कम वसूली करना:–

नगर परषिद सन्तोषगढ़ में चपड़ासी के पद पर कार्यरत्त कर्मचारी को टाईप–II आवास आबंटित किया गया था व उक्त कर्मचारी से लाईसैन्स फीस ₹228 के स्थान पर ₹89 प्रतिमाह की दर से वसूली करने के कारण ₹9174 की कम वसूली की गई जबकि जी0ए0डी0 हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या जी0ए0डी0–डी0 3 (सी) 14–2/97 दिनांक 21.9.10 के अनुसार टाईप–II के आवास हेतु लाईसैन्स फीस की दर ₹228 निर्धारित की गई है।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	लाईसैन्स फीस की दर	वसूली गई लाईसैन्स फीस	कम वसूली गई लाईसैन्स फीस	अवधि	कम वसूली गई राशि
1	श्री यशपाल (चपड़ासी)	228	89	139	1.10.10 से 31.3.16=66 महीने	139X66= 9174

उपरोक्त उल्लेखित लाईसैन्स फीस के रूप में कम वसूली गई ₹9174 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 303 दिनांक 13.10.16 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ

लाया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना में कम वसूली गई ₹9174 के सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त लाईसैन्स फीस के रूप में कम वसूली गई ₹9174 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मकान किराया भत्ता के रूप में ₹0.04 लाख का अधिक एवं गलत भुगतानः–

वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता निर्धारित दरों से अधिक दरों पर देने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹4200 का अधिक भुगतान किया गया हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	देय भत्ता	दिया गया भत्ता	अधिक एवं गलत भुगतान
1	श्री जितेन्द्र कौशल (कनिष्ठ अभियन्ता)	4/14 सें 5/14	550	600	50x2=100
2	श्री जसविन्द्र सिंह (वर्क सुपरवाईजर)	4/14 से 3/16	300	350	50x24=1200
3	श्रीमती सुमन शर्मा (सी0ओ0)	4/14 से 6/14	350	400	50x3=150
4	श्री जीत राम (चौकीदार)	4/14 से 3/15	250	300	50x12=600
5	श्री सन्तोष कुमार (ड्राईवर)	4/14 से	250	350	100x2=200
		5/14 व 6/14 से 3/16	300	350	50x22=1100
6	श्री सिंगरा राम (सफाई सेवक)	4/14 से 4/15	300	350	50x13=650
7	श्रीमती रजनी (सफाई सेवक)	4/14 से 5/14	250	350	100x2=200
				कुल योग	**₹4200**

उपरोक्त उल्लेखित मकान किराया भत्ते के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹4200 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 305 दिनांक 13.10.16 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित मकान किराया भत्ता के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹4200 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹1162.50 का अनियमित भुगतानः–

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में वाउचर संख्या 487 दिनांक 2.3.15 द्वारा श्री अनिल कुमार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के रूप में ₹2103 का भुगतान किया गया लेकिन निम्नविवरणानुसार ₹1162.50 की क्रय की गई दवाईयों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दवाई का नाम	मात्रा	मूल्य
1	Energy Tablet	10x3=30	160x3=480
2	Milc of Tablet	10x3=30	227.50x3=682.50
		योग	**1162.50**

25 श्री अनिल कुमार, लिपिक का कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन (Placement)

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में लिपिक के तीन पद सृजित एवं भरे हुए हैं। नगर परिषद में कार्यरत्त तीन लिपिकों में से दो लिपिकों श्री कर्म सिंह व श्री अनिल कुमार को पत्र संख्या MCS/Esstt/2015-948-51 दिनांक 23.9.15 के अन्तर्गत स्थापन (Placement) कनिष्ठ सहायक के पद पर किया गया जोकि स्थापन नियमों के विपरीत है क्योंकि स्थापन (Placement) नियमों के अनुसार तीन स्वीकृत लिपिक पदो में से केवल एक लिपिक जोकि वरिष्ठता सूची में सबसे वरिष्ठ हो को ही कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन (Placement) किया जा सकता था, क्योंकि पदोन्नति नियमों में पूर्णांकित (Rounding off) करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप एक लिपिक को कनिष्ठ सहायक के रूप में स्थापन करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया जोकि अनुचित है। स्थापन के अनुचित लाभ के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–304 दिनांक 13.10.16 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः नगर परिषद में कार्यरत्त तीन लिपिकों में से एक लिपिक की जगह दो लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन (Placement) करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

यद्यपि यह एक प्रशाासनिक मामला है। अतः परामर्श दिया जाता है कि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला–02 से इस सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके अंकेक्षण को यथास्थिति से अवगत करवाया जाए।

26 निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की ₹2.66 लाख की कम कटौतीः–

अवर सचिव (ई एण्ड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EXN-F(5)-1/2010-Loose, दिनांक 13.8.2012 के अनुसार श्रेणी "सी" व "डी" संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3**%** की दर से बिक्री कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान "सी" व "डी" श्रेणी के संविदाकारों के निर्माण बिलों से 3**%** की बजाए 2**%** की दर से बिक्री कर की कटौती की गई। फलस्वरूप 1**%** (3–2) की दर से बिक्री कर की कम कटौती करने के कारण ₹266025 (26602466X1**%**) की कम कटौती की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹266025 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹14106996 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹124954.70 कुल ₹26602466 के निर्माण/मुरम्मत कार्यों का निष्पादन विभिन्न संविदाकारों द्वारा किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 6** पर दिया गया है।

27 निर्माण कार्य बिलों से श्रमकर की ₹2.66 लाख की कटौती न करनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्य के बिलों से 1**%** की दर से श्रमकर की ₹266025 की कटौती नहीं की गई है जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1–2000 (लैब) बी0सी0डबल्यू0ए0 दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग श्रमकर कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व (हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सहायता बोर्ड) में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः श्रमकर की कटौती न करने के कारणो से अवगत करवाते हुए राशि की उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित विभाग में नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹14106996 व 2015–16 में ₹12495470 कुल ₹26602466 के निर्माण/मुरम्मत कार्यों का निष्पादन विभिन्न संविदाकारों द्वारा किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है।

28 दुकानों को किराये पर देने के लिए अखबार में विज्ञापन न देनाः–

दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 4 व 8 को निम्नविवरणानुसार दुकानदारों को नीलामी उपरान्त किराये पर दिया गया।

क्र0सं0	दुकान सं0	नीलामी की तिथि	दुकानदार का नाम	किराया प्रतिमाह
1	4	29.9.14	श्री मुनीश कुमार छब्बा सुपुत्र स्व0 श्री बाल कृष्ण छब्बा	1550
2	8	29.9.14	श्री सुदेश कुमार सुपुत्र श्री मन्दर सिंह	1550

उपरोक्त उल्लेखित दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां पाई गई जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(i) आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–ए0 (6)–1/85 दिनांक 21.12.2000 के अनुसार दुकानों के किराये पर देने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त दुकानों को किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापन अखबार में नहीं दिया गया व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लेखित दुकानों को किन–2 शर्तों के आधार पर नीलामी उपरान्त किराये पर दिया गया व नीलामी में क्या–2 शर्तें उल्लेखित थी, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 नीलामी की शर्तों के अनुसार दुकानदार से अनुबन्ध न करनाः–

दुकानों के अनुबन्धों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 30.11.15 को दुकान संख्या 1 की नीलामी उपरान्त श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री श्याम लाल, वार्ड नम्बर–1 से नीलामी की शर्त नम्बर–3 "किरायेदार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक किराया जमा करवायेगा। यदि वह किराया देय तिथि तक जमा नहीं करवाता है, तो ₹1 प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा"। नगर परिषद व श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री श्याम लाल में हुए अनुबन्ध में उक्त शर्त उल्लेखित नहीं है। अतः नीलामी की शर्तों के अनुसार उक्त दुकानदार से अनुबन्ध न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नीलामी की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 अंकगणितीय/गणना में अशुद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न संविदाकारों निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹0.19 लाख का अधिक भुगतानः–

(क) गणना में त्रुटि के कारण श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹5455 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– P/O Street from H/O Ravinder Kumar to H/O Ram Kumar W.No.9

संविदाकार का नामः– श्री रमेश चन्द

अवार्ड पत्र सं0ः–649–651 दिनांक 16.12.14

प्रविष्टि की तिथिः–21.1.15

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 27 पृष्ठ–47

Item No.	Discription of Item	Actual Quantity executed	Qty taken	Excess Quantity	Rate	Amt.	Deduction 2%	Total
2	P/L C:C 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate) in foundation & Plinth	1x12.40x3.00/2+3.05/2x.12=4.50m^3	6.80 m^3	2.30 m^3	2420	5566	111	5455

(ख) गणना में त्रुटि के कारण श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹3077 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Repavement of street from Sanoli Road to H/O Pardeep Kumar W.No.3

ठेकेदार का नामः– श्री रमेश चन्द

अवार्ड पत्र संख्याः– 626–628 दिनांक 29.9.14

प्रविष्टि की दिनांकः–20.10.14

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 27 व 17

Item No.	Discription of Item	Actual Quantity executed	Qty taken	Excess Quantity	Rate	Amt.	Contractor Premium 20%	Total
8	P/L C:C 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate) in foundation & Plinth	39.99x.10=39.09 m^3	399.90x.10=39.90 m^3	0.81 m^3	3165.90 m^3	2564	513	3077

(ग) गणना में त्रुटि के कारण श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹2340 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Drainage system mohalla kesrian to main Bazar W.No. 7

ठेकेदार का नामः– श्री रमेश चन्द

माप पुस्तिका संख्या व पृ0सं0ः– 28 व 14

Item No.	Discription of Item	Quantity executed	Rate	Amt.	Paid	Excess Paid
10	P/F PVC pipe 4" for Connections	1.60+12.40+9.40=23.40 RMT	10.00 Per Rmt	234	2574	2340

(घ) गणना में त्रुटि के कारण श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹3977 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– Repavement of street from Sanoli Road to H/O Pardeep Kumar W.No.3

ठेकेदार का नामः– श्री रमेश चन्द

अवार्ड पत्र संख्याः– 706–708 दिनांक 19.1.15

प्रविष्टि की तिथिः–5.6.15

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 28 व 10

Item No.	Discription of Item	Actual Quantity executed	Qty taken	Excess Quantity	Rate	Amt.	Contractor Premium 25%	Total
8	Demoltion of unrefined cement cannel upto 20cm depth	1x3.40x2.6+1.80/2x.30=2.24 m^3	5.08 m^3	2.84 m^3	415.95 per m^3	1181	295	1476
3	P/L C:C 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded Aggregate in foundation & Plinth 1/C complex	1x7.70x2.80+2.60/2x.10=2.08 m^3	3.11 m^3	1.03 m^3	1942.50 m^3	2001	500	2501
		क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (1476+2501)						**₹3977**

(ङ) गणना में त्रुटि के कारण श्री रमेश चन्द संविदाकार को ₹1140 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– P/O street from Sanoli Road toward chabba Plastic industry Phase-II

ठेकेदार का नामः– श्री रमेश कुमार

अवार्ड पत्र संख्याः– 727–729 दिनांक 27.2.15

प्रविष्टि की तिथिः–30.3.15

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 27 व 82

Item No.	Discription of Item	Actual Quantity executed	Qty taken	Excess Quantity	Rate	Amt.	Contractor Premium 25%	Total
8	P/L C:C 1:2:4 (One cement 2 Sand, 4 graded stone aggregatein foundation & Plinth)	1x7x.45+2.00/2x.75 +.10/2=0.75	1.05 m^3	0.3 m^3	3165.90 m^3	950	190	1140

(च) गणना में त्रुटि के कारण श्रीमती सुनिता देवी संविदाकार को ₹2570 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

कार्य का नामः– R/O maintenance of M.C. street/Drain etc in M.C. Area street

ठेकेदार का नामः– श्रीमती सुनिता देवी

अवार्ड पत्र संख्याः– 632–634 दिनांक 29.9.14

प्रविष्टि की तिथिः–17.3.15

माप पुस्तिका सं0 व पृ0सं0ः– 27 व 63

Item No.	Discription of Item	Actual Quantity executed	Qty taken	Excess Quantity	Rate	Excess Amt. paid	Contractor Premium 25%	Total
4	Provinding from work of M.S. Plates to give up finish	6x.80x.80=3.84 m^2	12.28 m^2	8.44 m^2	243.65 per sq.mtr	256.40=2056	514	2570

उपरोक्त उल्लेखित कार्यों में अंकगणितीय त्रुटि के कारण ठेकेदारों को ₹.18559 का (5455+307+2340+397+1140+2570) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों/चूककर्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 टैण्डरों की बिक्री से ₹3150 की कम वसूलीः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सन्तोषगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु टैण्डरों को निर्धारित दर से कम दर पर विक्रय करने के कारण निम्नानुसार ₹3150 की कम वसूली हुई है। जबकि विशेष सचिव (पी0डब्लयू0) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या पी0बी0डब्लयू0 (बी)–14 (8)/2004 दिनांक 24 फरवरी, 2012 के अनुसार ₹10 लाख तक की लागत तक के निर्माण कार्यों हेतु ₹350 प्रति टैण्डर की दर से बिक्री की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टैण्डर की दर	वसूली गई राशि	अन्तर	टैण्डरों की सं0	कम वसूली गई राशि
1	P/O street from H/O Ravinder Kumar to H/O Ram Kumar W.No. 9	83701	350	200	150	5	750
2	C/O Retaining wall near Mohalla Nayian	58906	350	200	150	5	750
3	Repayment of street near shop of lovely sunai W.No. 9	52884	350	200	150	4	600
4	Repayment of street near H/O Prem Suniar W.No. 9	63660	350	200	150	4	600
5	P/O street near H/O Dharma fouji ward No. 3	96860	350	200	150	3	450
						योग	3150

अतः उपरोक्त उल्लेखित टैण्डरों की बिक्री से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दर पर बिक्री करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व उक्त कम वसूली गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर ही टैण्डर बिक्री किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

32 ₹87.98 लाख के निर्माण एवं मुरम्मत कार्यों का निष्पादन ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत टैण्डर आमन्त्रित करके न करनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा अवधि 1.5.15 से 31.3.16 तक के दौरान ₹1 लाख से अधिक राशि के सभी विकास कार्यों हेतु ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए

गए जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या No. UD-H(F)-Tenders Engg cell-4964-5013 दिनांक 26.6.15 के अनुसार यू0एल0बी0 में ₹1 लाख से अधिक राशि के सभी विकास कार्यों हेतु दिनांक 1.5.15 से ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमंत्रित किए जाने अनिवार्य थे लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार अवधि 1.5.15 से 11.3.16 तक के दौरान ₹1 लाख से अधिक राशि के ₹8798360 करवाए गए विकास कार्यों हेतु ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमन्त्रित न करके प्रतिशतता के आधार पर टैण्डर आमन्त्रित किए गए जोकि उक्त पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों की गम्भीर अवहेलना है। अतः ₹1 लाख से अधिक राशि के सभी विकासात्मक कार्यों हेतु ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमन्त्रित न करके प्रतिशतता के आधार पर टैण्डर आमन्त्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अवधि में ₹1 लाख से अधिक राशि के करवाए गए सभी विकासात्मक कार्यों को ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमन्त्रित न करके प्रतिशतता आधार पर टैण्डर आमन्त्रित करने को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए एवं उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकासात्मक कार्यों को करवाने हेतु नियमानुसार ई–टैण्डरिंग आधार पर टैण्डर आमन्त्रित किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। अवधि 1.5.15 से 11.3.16 तक के दौरान ₹1 लाख से अधिक राशि के करवाए गए विकासात्मक कार्यों जिनका ई–टैण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टैण्डर आमन्त्रित न करके प्रतिशतता के आधार पर टैण्डर आमन्त्रित किए गए का विवरण **परिशिष्ट–7** पर दिया गया है।

33 निर्माण कार्यों के लिए आमन्त्रित निविदाओं में मदों की अनुसूची तथा मात्रा न दर्शाने बारेः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा **परिशिष्ट–8** पर संलग्न विवरणानुसार करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए संविदाकारों को जारी किए गए निविदा फार्मों के साथ मदों की अनुसची तथा मात्रा नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि संविदाकारों को इस बात का कैसे पता चला कि नगर परिषद द्वारा किन–2 मदों को तथा कितनी मात्रा में निष्पादित करवाया जाना है। यद्यपि नगर परिषद द्वारा प्रतिशतता आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की जा सकती है परन्तु उनमें भी निर्माण कार्यों में निष्पादित होने वाली मात्रा तथा नाम दर्शाए जाने अनिवार्य है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा निविदाए मात्र औपचारिकता पूर्ण करने हेतु ही आमन्त्रित की गई प्रतीत होती है। परिणामस्वरूप इन दरों के न्यूनतम होने बारे

एक आदर्श तुलनात्मक पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 (छ) में भी आपत्ति उठाई गई थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। अतः नियमानुसार इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

34 टी0डी0एस0 ₹0.39 लाख की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 सी में विहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में संविदाकारों अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के एकल भुगतान व ₹75000 से अधिक के सकल भुगतान पर 2% की दर से टी0डी0एस0 काटा जाना अनिवार्य था व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो या फिर मौखिक ही पर लागू होती है जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांस्पोर्ट लेबर सेवाकार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.16 तक निम्नलिखित संविदाकार से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है जिसके कारण सरकारी कोष में ₹39173 टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए है। अतः उक्त सम्पूर्ण टी0डी0एस0 की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194 (सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	संविदाकार का नाम एवं पता	सामान का विवरण	भुगतान की गई राशि	2% टी0डी0एस0 की राशि
1	अवधि 1.4.14 से 31.3.15	श्री गुरूदत्त ठेकेदार गांव व डा0 चताड़ा जिला ऊना (हि0प्र0)	सफाई ठेका	942652	18853
2	अवधि 1.4.15 से 31.3.16	श्री गुरूदत्त ठेकेदार गांव व डा0 चताड़ा जिला ऊना (हि0प्र0)	सफाई ठेका	1016009	20320
				योग	**39173**

35 स्ट्रीट लाईट ऑन–ऑफ के कार्य का ठेका उच्च दरो पर देने के कारण हुई वित्तीय हानि ₹5100 बारेः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा स्ट्रीट लाईट को ऑन/ऑफ करने का कार्य श्री रम्मी इलैक्ट्रीकल वकर्स, सन्तोषगढ़ को ₹4800 प्रतिमाह की दर से दिया गया। उक्त कार्य हेतु आमन्त्रित/प्राप्त निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य हेतु न्यूनतम दर मैसर्ज सूरज इलैक्ट्रीकल सन्तोषगढ़ द्वारा ₹4500 प्रतिमाह भरी गई थी। न्यूनतम दर भरने वाले

संविदाकार को उक्त कार्य आबंटित न करके द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले को कार्य आंबटित करने के कारण माह 11/14 से 3/16 तक ₹300 प्रतिमाह की दर 17 माह हेतु ₹5100 की वित्तीय हानि नगर परिषद को हुई है। अतः न्यूनतम दर भरने वाले की जगह द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले को कार्य आबंटित करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

36 श्री प्रमोद कुमार सफाई कर्मचारी की दिनांक 4.3.2010 से स्वैच्छिक अनुपस्थिति बारेः—

श्री प्रमोद कुमार सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उकत कर्मचारी दिनांक 4.3.10 से लगातार बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित है लेकिन उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। गत 6 वर्षों से अधिक समय से उक्त कर्मचारी बिना किसी अवकाश से स्वैच्छिक रूप से कार्य से अनुपस्थित है। अतः उक्त कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

37 टैण्डर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः—

वित्तीय वर्ष 2014—15 व 2015—16 के दौरान नगर परिषद सन्तोषगढ़ में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों जिन हेतु टैण्डर विक्रय किए गए, से सम्बन्धित टैण्डर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जोकि पारदर्शिता नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः तुरन्त प्रभाव व वित्तीय वर्ष 2014—15 व 2015—16 हेतु टैण्डर विक्रय रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 स्थापना जांच रजिस्टर तैयार न करने बारेः—

अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.2016 तक नगर परिषद सन्तोषगढ़ में कार्यरत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान से सम्बन्धित स्थापना जांच रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

39 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

40 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(25)फिन (एल0ए0)खण्ड–6– 1923–1924 दिनांकः 31.03.2017, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओ पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– 2. सचिव, नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट (1) पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

नगर परिषद संतोषगढ़ के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/70 से 03/80

1	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(i)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 13(ए)(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ई) से (जी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(एस)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(टी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(यू)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(जैड)(ए0सी0)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(जैड)(ए0डी0)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(जैड)(ए0ई)	अनिर्णीत
16	पैरा 14	अनिर्णीत
17	पैरा 16(ए) से (ई)	अनिर्णीत
18	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/80 से 03/81

1	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत

3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(ए) से (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/84

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत
3	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 27	अनिर्णीत
6	पैरा 37(बी)(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 39	अनिर्णीत
8	पैरा 40(ए)(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा40(बी)(i) to (vi)	अनिर्णीत
10	पैरा 41	अनिर्णीत
11	पैरा 41(ए) से (ओ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/85

1	पैरा 15(6)(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(12) से (15)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/86

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 15(3)	अनिर्णीत

(च) श्री टी0आर0 लखनपाल परीक्षक का दिनांक 28.04.1987 का अंकेक्षण एंव निरीक्षण

1	पैरा 1(ए)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/86 से 03/87

1	पैरा 7(i) से (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/91

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ग) से (ञ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख) से (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(छ)(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9(क) से (ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14(क) व (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 17(क)(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19(क)(ख) (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा 20(क)(ख)	अनिर्णीत
19	पैरा 21	अनिर्णीत
20	पैरा 22(क) से (ग)	अनिर्णीत

21	पैरा 24	अनिर्णीत
22	पैरा 25(क)(ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 26	अनिर्णीत
24	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/95

1	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख) से (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(क) से (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(viii)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ix)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(x)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(xii)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(xiii)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(xiv)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(xvii)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(xviii)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(xxiv)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(xxvii)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(xxviii)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(xxx)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(xxxii)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(xxxv)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(xxxviii)	अनिर्णीत

22	पैरा 9(xxxx)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(xxxxv)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(xxxxvi)	अनिर्णीत
25	पैरा 9(xxxxviii)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
29	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/2004

1	पैरा 19	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत
5	पैरा 28	अनिर्णीत
6	पैरा 29	अनिर्णीत
7	पैरा 30	अनिर्णीत
8	पैरा 32	अनिर्णीत
9	पैरा 33	अनिर्णीत
10	पैरा 34	अनिर्णीत
11	पैरा 37	अनिर्णीत
12	पैरा 39	अनिर्णीत
13	पैरा 41	अनिर्णीत
14	पैरा 42	अनिर्णीत
15	पैरा 46	अनिर्णीत
16	पैरा 47	अनिर्णीत
17	पैरा 48	अनिर्णीत
18	पैरा 49	अनिर्णीत
19	पैरा 50	अनिर्णीत

20	पैरा 51	अनिर्णीत	
21	पैरा 52	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007

1	पैरा 7(ए)(i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 7(ए)(vi)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा 7(ए)(vii)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 7(बी)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 7(डी)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(ठ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 6 (3)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23. 11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 6 (5) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा 6 (5) (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 6 (5) (4) (i)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 6 (7) (1) से (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7 (3) (ii)	निर्णीत	(जन्म तिथि की पुष्टि उपरान्त)
7	पैरा 8 (1) (i)(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (3) (i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23. 11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
9	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत	
11	पैरा 8 (6) (i)(ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा 8 (8)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23. 11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)

13	पैरा 9 (1) (i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
14	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा 9 (4) (iii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
16	पैरा 9 (4) (iv)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
17	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत	
18	पैरा 9 (6) (i)	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2012

1	पैरा 4 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5 (ख) (ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (घ)	अंशतः निर्णीत	
4	पैरा 6 (ख) (v)	अंशतः निर्णीत	
5	पैरा 6 (ख) (vi)	अंशतः निर्णीत	
6	पैरा 6 (ख) (vii)	अंशतः निर्णीत	
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
11	पैरा 10 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
12	पैरा 12 (ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं सहायक अभियन्ता के

			टैस्ट चैक की पुष्टि उपरान्त)
13	पैरा 12 (घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12 (ङ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
15	पैरा 13 (ङ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
16	पैरा 16	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं कार्य का संक्षिप्त नाम एवं वास्तविक कार्य एक ही है)
17	पैरा 18	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
18	पैरा 21	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
19	पैरा 22	अनिर्णीत	
20	पैरा 23	अनिर्णीत	
21	पैरा 24	निर्णीत	(भूमि का मालकाना हक हस्तातरण नगर परिषद के नाम होने की पुष्टि उपरान्त)
22	पैरा 25	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
23	पैरा 29 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा 29 (ग)	अनिर्णीत	
25	पैरा 30 (क)	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी से यात्रा कार्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि उपरान्त)
26	पैरा 30 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 31	अनिर्णीत	

(ढ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2014

1	पैरा 4 (ग) (1) से (3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–9.1 में सम्मिलित है)
3	पैरा 6 (ख) (i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–10.1 में सम्मिलित है)
4	पैरा 6 (ख) (ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–10.3 में सम्मिलित है)
5	पैरा 6 (ख) (iii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–10.4 में सम्मिलित है)
6	पैरा 6 (ख) (iv)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–13 में सम्मिलित है)
7	पैरा 6 (ख) (v)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या–11 में सम्मिलित है)
8	पैरा 6 (ग) से (छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6 (ज)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या PBW (B)-14 (8)/2004 दिनांक 24.2.12 द्वारा ₹1000000 तक के निर्माण कार्य हेतु

			टैण्डर की लागत ₹350 निर्धारित की गई है)
10	पैरा 6 (झ)	स्वतः अनिर्णीत	
11	पैरा 7	अनिर्णीत	
12	पैरा 8 (ख)	निर्णीत	(₹13350 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 334/34 से 334/43 दिनांक 24.10.16 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा 8 (ग)	निर्णीत	(₹250 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 334/44 दिनांक 24.10.16 द्वारा कर ली गई है)
14	पैरा 8 (घ) से (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा 9 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 23.11.16 व 24.11.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निर्णीत)
16	पैरा 9 (ख)	निर्णीत	(₹4714 की वसूली की पुष्टि जी–8 334/21 दिनांक 17.10.16 द्वारा कर ली गई है)
17	पैरा 9 (ग)	निर्णीत	(₹1416 की वसूली की पुष्टि जी–8 334/22 दिनांक 17.10.16 द्वारा कर ली गई है)
18	पैरा 9 (घ)	निर्णीत	(₹7205 की वसूली की पुष्टि वाउचर नं0 161 दिनांक 5.7.16 माप पुस्तिका संख्या 27 पेज 56 द्वारा कर ली गई है)
19	पैरा 9 (ङ)	निर्णीत	(₹741 की वसूली की पुष्टि वाउचर नं0 161 दिनांक 5.7.16 माप पुस्तिका संख्या 27 पेज 56 द्वारा कर ली गई है)
20	पैरा 9 (च)	निर्णीत	(₹33784 की वसूली की पुष्टि संविदाकार के बिल से माप पुस्तिका संख्या 27 पेज 87 पर कर लेने की पुष्टि उपरान्त)
21	पैरा 9 (छ)	अनिर्णीत	
22	पैरा 9 (ज)	निर्णीत	(सहायक अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक करने

			की पुष्टि उपरान्त)
23	पैरा 9 (झ) (ञ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 10 (i)	निर्णीत	(बी0पी0एल0 परिवारों के बच्चों को प्रशिक्षण पंजीकृत संस्थाओ ंसे दिलाने की पुष्टि उपरान्त व प्रस्ताव संख्या–140 दिनांक 28.10.16 की सत्यापना उपरान्त)
25	पैरा 10 (ii)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
26	पैरा 11	निर्णीत	(वांछित रसीदों की सत्यापना उपरान्त)
27	पैरा 12	अनिर्णीत	
28	पैरा 13	अनिर्णीत	
29	पैरा 14	निर्णीत	(पूर्व का कार्य भी श्री गुरू रविदास सभा द्वारा ही किए जाने की पुष्टि उपरान्त)
30	पैरा 15	निर्णीत	(माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त केस में फैसला नगर परिषद के हित में दिए जाने की पुष्टि उपरान्त)
31	पैरा 16	अनिर्णीत	
32	पैरा 17	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	204
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	(+) 35
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए पैरे	(–) 48
अन्तशेष	191